विधि के पारित आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार की प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि के खातेदार नहीं हैं। खातेदार काश्तकार द्वारा ही प्राथपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गयी। रेस्पो0 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व रेस्पो0 3 तामील होने के बाद भी उपस्थित नही आये इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर सलंग्न किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है इसलिए उसे अपास्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस मे तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उसके पुत्र को प्रश्नगत आराजी जो अनुसूचित जाति के सदस्य की है उससे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं वह विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 4 एफटीपी के प0नं0 209/239 कि0नं0 3,4,6 कुल 0.759 है0 भूमि पप्पू सिंह व राजकौर की गैर खातेदारी भूमि है जिसमें से कि0 नं0 6 की एक बीघा भूमि पर अप्रार्थीया निर्मला देवी के पुत्र राहुल का नाजायज कब्जा है। प्रार्थीगण जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है अपने हक हिस्सा की आराजी को वापिस प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए प्रार्थीगण का धारा 183 ब आरटीएक्ट का प्रा0पत्र स्वीकार कर अपीलांटा निर्मला देवी पत्नी कृतिभानू व राहुल पुत्र कृतिभानू को बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का वशीर की दैनिक डायरी दिनांक 30.6.16 के अनुसार प्रश्नगत आराजी का कब्जा निर्मला देवी व उसके पुत्र राहुल को बेदखल कर पप्पू सिह पुत्र अर्जन सिंह को सम्भलाया जाना सिद्ध होता है। चूंकि अपीलांटा व उसके पुत्र द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत रिकार्ड व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलांटा स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांटा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.6.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़